(502/1)

राज्य नगरीय विकास अभिकरण, उ0प्र0

7/23, सेक्टर–7, गोमतीनगर विस्तार, लखनऊ–226027
Website-sudaup.org

पत्रांक : 1118 /28/76/एक/2018–19 दिनांक : 26 फरवरी 2019

सेवा में,

जिलाधिकारी/अध्यक्ष,
जिला नगरीय विकास अभिकरण
जनपद–**गोण्डा।**

विषय : **मुख्यमंत्री नगरीय अल्पविकसित व मलिन बस्ती विकास योजनान्तर्गत धनराशि का प्रेषण**

महोदय,

अभिकरण द्वारा वित्तीय वर्ष 2018–19 में आपके जनपद को मुख्यमंत्री नगरीय अल्प विकसित व मलिन बस्ती विकास योजनान्तर्गत (अनुदान संख्या–37/83) में शासन द्वारा स्वीकृत की गई निम्न परियोजनाओं की प्रथम किश्त की धनराशि निम्नलिखित विवरण के अनुसार अवमुक्त की जा रही है:–

धनराशि का प्रेषण (लाख रू0 में)			
बैंक का नाम	**खाता संख्या**	**आईएफएससी कोड**	**धनराशि**
बैंक आफ इण्डिया	691010210000229	BKID0006910	**221.606**

(धनराशि लाख रू0 में)

क्र0 सं0	जनपद का नाम	अनुदान संख्या	निकाय का नाम	बस्ती/वार्ड का नाम	मुख्यमंत्री नगरीय अल्प विकसित व मलिन बस्ती विकास योजनान्तर्गत धनराशि का प्रेषण	शासन से प्राप्त धनराशि में सेन्टेज की कटौती के उपरान्त प्रेषित धनराशि
1	गोण्डा	मु0अ0–37	न0पा0प0 गोण्डा	वार्ड नं0 24 मो0 मालवीय नगर में काका बिस्कुट वाली दुकान से गुरू द्वारे तक रबर मोल्डिंग इण्टरलॉकिंग/नाली निर्माण कार्य।	12.482	100%
2	गोण्डा	मु0अ0–37	न0पा0प0 गोण्डा	वार्ड न0 03 मो0 पटेलनगर में रमाकान्त शुक्ला के घर से अरूण सिंह के घरा तक सी0सी0 रोड/नाली निर्माण कार्य।	11.450	100%
3	गोण्डा	मु0अ0–37	न0पा0प0 गोण्डा	वार्ड न0 01 मो0 सिविल लाइन–तृतीय में प्रदीप शुक्ला के मकान से मुकेश वर्मा के मकान से होते हुए अवधेश शुक्ला के मकान से दायें मुड़ कर पंकज सिंह के मकान से होते हुए आगे सुधार सिंह व जन्मेजय सिंह के मकान से पुलिया तक रबर मोल्डिंग इण्टरलॉकिंग का निर्माण कार्य।	12.091	100%
4	गोण्डा	मु0अ0–37	न0पा0प0 गोण्डा	वार्ड न0 24 मो0 मालवीय नगर में सुधीर रायलानी के घर के पीछे से राधा कृष्ण मन्दिर (झूलेलाल धर्मशाला) के बगल से गुलाब राय के मकान के पीछे तक रबर मोल्डिंग इण्टरलॉकिंग/नाली निर्माण कार्य।	11.059	100%
5	गोण्डा	मु0अ0–37	न0पं0 परसपुर	मो0 नौशहरा में प्रीतम गुप्ता की गली से नागेश्वरनाथ मन्दिर होते हुए कब्रिस्तान मार्ग तक रबर मोल्डिंग इण्टरलॉकिंग/नाली का निर्माण कार्य।	15.036	100%
6	गोण्डा	मु0अ0–37	न0पं0 परसपुर	मो0 राजापुर में किशुनदास पाण्डेय के बगल गली	6.628	100%

(S02/2)

राज्य नगरीय विकास अभिकरण, उ0प्र0

7/23, सेक्टर–7, गोमतीनगर विस्तार, लखनऊ–226027
Website-sudaup.org

क्र0 सं0	जनपद का नाम	अनुदान संख्या	निकाय का नाम	बस्ती/वार्ड का नाम	मुख्यमंत्री नगरीय अल्प विकसित व मलिन बस्ती विकास योजनान्तर्गत धनराशि का प्रेषण	शासन से प्राप्त धनराशि में सेन्टेज की कटौती के उपरान्त प्रेषित धनराशि
				दशहरा वाले मार्ग मलिन टोला तक रबर मोल्डिंग इण्टरलॉकिंग/नाली का निर्माण कार्य।		
7	गोण्डा	मु0अ0–37	न0पं0 परसपुर	मो0 राजपुर चिकवा के गली से होते हुए नई बस्ती व राज कुमार सोनी पत्रकार के घर तथा खेत तक रबर मोल्डिंग इण्टरलॉकिंग/नाली निर्माण कार्य।	6.032	100%
8	गोण्डा	मु0अ0–37	न0पं0 परसपुर	मो0 राजपुर में राजेश आर्या के दुकान के बगल गली से शिखा सिन्हा के घर तक रबर मोल्डिंग इण्टरलॉकिंग/नाली निर्माण कार्य।	1.984	100%
9	गोण्डा	मु0अ0–37	न0पं0 परसपुर	मो0 अंजही में रामजानकी मन्दिर से राम सुन्दर के घर तक रबर मोल्डिंग इण्टरलॉकिंग/नाली निर्माण कार्य।	15.045	100%
10	गोण्डा	मु0अ0–37	न0पं0 परसपुर	मो0 आंटा में प्राइमरी स्कूल से मैन बहादुर के घर तक रबर मोल्डिंग इण्टरलॉकिंग/नाली निर्माण कार्य।	12.029	100%
11	गोण्डा	मु0अ0–37	न0पं0 परसपुर	मो0 मिश्रन टोला में राधेश्याम के घर से भारत गैस एजेंसी तक रबर मोल्डिंग इण्टरलॉकिंग/नाली निर्माण कार्य।	17.269	100%
12	गोण्डा	मु0अ0–37	न0पं0 परसपुर	मो0 मिश्रन टोला में पीर मोहम्मद के घर से संदीप रस्तोगी के मड़हा तक रबर मोल्डिंग इण्टरलॉकिंग/नाली निर्माण कार्य।	5.765	100%
13	गोण्डा	मु0अ0–37	न0पं0 परसपुर	मो0 मिश्रनटोला में कटरा भवानी मन्दिर के बगल से राजेश रस्तोगी के घर होते हुए ईदू के घर तक रबर मोल्डिंग इण्टरलॉकिंग/नाली निर्माण कार्य।	15.881	100%
14	गोण्डा	मु0अ0–37	न0पं0 परसपुर	वार्ड नं0 15 मो नौशहरी उत्तरी में झब्बार खां सभासद के बगल व पीछे पंकज मिश्रा के घर तक रबर मोल्डिंग इण्टरलॉकिंग/नाली निर्माण कार्य।	8.924	100%
15	गोण्डा	मु0अ0–37	न0पं0 परसपुर	वार्ड नं0 05 मो0 नकईपुरवा गांव में स्टोर बाबू के घर से बाबादीन मिश्रा के खेत तक व दर्शानन्द पाण्डेय के घर तक रबर मोल्डिंग इण्टरलॉकिंग का निर्माण कार्य।	18.435	100%
16	गोण्डा	मु0अ0–37	न0पं0 परसपुर	वार्ड नं0 06 मो0 मुरावन टोला पश्चिमी में परसपुर बेलसर मार्ग से राजा सगरा होते हुए राज मन्दिर तक रबर मोल्डिंग का निर्माण कार्य।	8.532	100%
17	गोण्डा	मु0अ0–37	न0पं0 परसपुर	वार्ड नं0 12 मो0 राजपुर दक्षिणी में परसपुर करनैलगंज मार्ग से राजू के दुकान से चकबन्दी	10.151	100%

(502/3)

राज्य नगरीय विकास अभिकरण, उ0प्र0

7/23, सेक्टर–7, गोमतीनगर विस्तार, लखनऊ–226027
Website-sudaup.org

क्र0 सं0	जनपद का नाम	अनुदान संख्या	निकाय का नाम	बस्ती/वार्ड का नाम	मुख्यमंत्री नगरीय अल्प विकसित व मलिन बस्ती विकास योजनान्तर्गत धनराशि का प्रेषण	शासन से प्राप्त धनराशि में सेन्टेज की कटौती के उपरान्त प्रेषित धनराशि
				आफिस के बगल से सोहन लाल धोबी के घर तक रबर मोल्डिंग इण्टरलॉकिंग/नाली निर्माण कार्य।		
18	**गोण्डा**	**मु0अ0–37**	न0पं0 परसपुर	वार्ड नं0 13 मो0 मिश्रनटोला के धिरजापुरवा में शिवदत्त पाण्डेय के घर से राम जियावन के घर एवं राधेश्याम के घर होते हुए पिच रोड तक रबर मोल्डिंग इण्टरलॉकिंग/नाली निर्माण कार्य।	15.018	100%
19	गोण्डा	**मु0अ0–37**	न0पं0 परसपुर	वार्ड नं0 04 मो0 आटा उत्तरी में सुन्दर कनौजिया के घर से देवा शंकर मिश्र के घर तक रबर मोल्डिंग इण्टरलॉकिंग/नाली निर्माण कार्य।	17.795	100%
	योग				221.606	

उपरोक्त अवमुक्त धनराशि का व्यय मुख्यमंत्री नगरीय अल्प विकसित व मलिन बस्ती विकास योजनान्तर्गत निम्न दिशा निर्देशों के अनुसार ही किया जाये:–

1– उ0प्र0 सरकार के द्वारा जारी शासनादेशों के अनुरूप मुख्यमंत्री नगरीय अल्प विकसित व मलिन बस्ती विकास योजना हेतु स्वीकृत डी0पी0आर0/परियोजना के अनुसार कार्य कराया जायें। प्रत्येक कार्य आरम्भ होने के पूर्व एवं कार्य समाप्त होने के पश्चात फोटोग्राफ प्रत्येक दशा में सम्बन्धित पत्रावली में रखा जाये।

2– स्थानीय स्तर पर जो भी कार्य कराये जायें उनकी सूचना सम्बन्धित नगर निकाय एवं अन्य विभागों से समन्वय स्थापित कर और सूचना देकर सुनिश्चित कर लिया जाये ताकि एक ही कार्य दो विभागों द्वारा टेकअप न कर लिया जाये।

3– प्रश्नगत परियोजना में प्रस्तावित कार्य आरम्भ करने से पूर्व परियोजना पर सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति आवश्य प्राप्त कर ली जाये तत्पश्चात ही कार्य आरम्भ कराया जाये।

4– अवमुक्त की जा रही धनराशि के सापेक्ष यह सुनिश्चित कर लिया जायेगा कि परियोजनान्तर्गत कार्य हेतु पूर्व में राज्य सरकार अथवा किसी अन्य श्रोत्र से धनराशि स्वीकृत नही की गई है तथा न ही यह कार्य किसी अन्य कार्य योजना में सम्मिलित है जिससे कि शासकीय धन का दुरूपयोग न होने पाये, अन्यथा की स्थिति में प्रश्नगत धनराशि तत्काल अभिकरण मुख्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

5– स्थानीय स्तर पर जो भी परियोजनायें या कार्य कराये जायें उनमें पारदर्शिता के साथ गुणवत्ता सुनिश्चित की जाये एवं राज्य सरकार/स्थानीय विधि/नियम एवं पर्यावरणीय बाध्यता/पुरातत्व विभाग आदि के अन्तर्गत यदि कोई स्वीकृत/अनापत्ति अन्य विभागों से लेना हो तो, सुनिश्चित किया जाये।

6– प्रश्नगत परियोजनाओं में स्वीकृत की गयी धनराशि का व्यय वित्तीय हस्तपुस्तिका के सुसंगत प्राविधानों के अन्तर्गत निर्माण कार्य सम्पादित कराते हुये किया जाये।

7– परिसम्पत्तियों के सृजन उपरान्त समय से उन्हें सम्बन्धित नगर निकायों को हस्तान्तरित कर दिया जाये ताकि भविष्य में समुचित रख–रखाव में कोई बाधा उत्पन्न न होने पाये। इसके लिये आवश्यक है कि परिसम्पत्तियों के सृजन के पूर्व ही स्थानीय निकायों से तदाशय की सहमति ले ली जाये।

8– योजनान्तर्गत अवमुक्त की जा रही धनराशि का उपयोग वित्तीय वर्ष 2018–19 में अवश्य करा लिया जाये तथा उपयोगिता प्रमाण पत्र अथवा अवशेष धनराशि अभिकरण को प्रत्येक दशा में उपलब्ध करायी जायें। निर्धारित अवधि के उपरान्त उपयोगिता प्रमाण पत्र/अवशेष धनराशि अभिकरण को नही प्राप्त होती है तो शासन द्वारा निर्धारित ब्याज अवमुक्त की गई धनराशि पर देय होगा।

9– उक्त धनराशि डूडा द्वारा इस योजना के अन्तर्गत निर्धारित शर्तो/योजना के प्रतिबन्धों के अनुसार निहित मद में व्यय की जायेगी एवं स्वीकृत परियोजनान्तर्गत कार्य/कमशः इस प्रकार कराये जायें कि वे प्रश्नगत उपलब्ध

राज्य नगरीय विकास अभिकरण, उ0प्र0
7 / 23, सेक्टर–7, गोमतीनगर विस्तार, लखनऊ–226027
Website-sudaup.org

धनराशि से ही समय से पूर्ण हो जायें।

10– प्रश्नगत परियोजना में भुगतान के पूर्व यथानियम केन्द्र, राज्य व स्थानीय करों की स्त्रोत पर कटौती सम्बन्धी अनिवार्य विधिक प्रतिबन्धों के अनुपालन का ध्यान रखा जायेगा एवं निर्माण में गुणवत्ता के निर्धारित मानकों का अनुपालन भी सुनिश्चित किया जायेगा।

11– अवमुक्त की जा रही धनराशि का उपयोग उसी प्रयोजन के लिये किया जायेगा जिसके लिये वह स्वीकृत की गई है। किसी प्रकार का व्ययवर्तन अनुमन्य न होगा, शासन द्वारा अवमुक्त की गई धनराशि के कम में **धनराशि जनपद को अवमुक्त की जा रही है।** उपरोक्त अंकित कार्यो में यदि कार्य/धनराशि की दैरावृत्ति हो **रही हो तो उसका भुगतान** न करते हुये उसकी सूचना अभिकरण मुख्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्ति करें। **अन्यथा की स्थिति** में जनपद के सम्बन्धित अधिकारी संयुक्त रूप से उत्तरदायी होंगे।

12– **शासन द्वारा उक्त परियोजनाओं में अवमुक्त की गई धनराशि में से अनुमन्य सेन्टेज की धनराशि रोककर शेष धनराशि अवमुक्त की जा रही है। उक्त धनराशि के सापेक्ष नियमानुसार गुणवत्तापरक कार्य सम्पादित कराते हुये उपयोगिता प्रमाण पत्र व्यय की गई धनराशि के सापेक्ष भौतिक प्रगति सहित अभिकरण को शीध उपलब्ध कराने का कष्ट करें।**

भवदीय,

(साजिद आजमी)
वित्त नियन्त्रक

<u>पत्रांक एवं दिनांक तदैव</u>

प्रतिलिपि :निम्नलिखित को सूचनार्थ प्रेषित।

1. परियोजना निदेशक/परि0 अधि0, जिला नगरीय विकास अभिकरण, सम्बन्धित जनपद।
2. कार्यक्रम अधिकारी, सूडा।
3. कम्प्यूटर सेल/लेखा विभाग–सूडा।

(साजिद आजमी)
वित्त नियन्त्रक